भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य

बनाम

न्यू मरीन कोल कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड

फरवरी 14, 1996

[के. रामास्वामी और एस. सगीर अहमद, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

वसूली हेतु वाद — ग्रेड-I कोयले की आपूर्ति का समझौता — ग्रेड-II कोयले की आपूर्ति, परंतु ग्रेड-I कोयले का मूल्य वसूल किया गया — अधिक भुगतान को बाद के बिलों में समायोजित किया गया — विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रतिदावा तथा उस पर न्यायालय शुल्क के अभाव में समायोजन नहीं किया जा सकता — वाद डिक्री किया गया — अपील में उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि — अपील पर अभिनिर्धारित, अपीलार्थियों को यह अधिकार है कि धोखाधड़ी का पता चलने पर, संबंधित पक्ष द्वारा की गई भविष्य की आपूर्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि का समायोजन किया जाए— मामला विचारण न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया— अपीलार्थियों को यह अवसर दिया जाएगा कि वे संबंधित अवधि के दौरान की गई कुल आपूर्तियों तथा ग्रेड-I और ग्रेड-II कोयले के मूल्य के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करें— अधिक भुगतान की राशि का समायोजन किया जाएगा और छह माह के भीतर नई डिक्री तैयार की जाएगी।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1982 की दीवानी अपील सं. 3496

1973 के मूल डिक्री संख्या 30 से अपील में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 20.5.82 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए जयदीप गुप्ता और के. जे. जॉन।

उत्तरदाता के लिए बी. बी. सिंह और राजीव सिंह।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था :

विशेष अनुमति से दायर यह अपील पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 1973 की एफ.ए. संख्या 30 में दिनांक 20 मई, 1982 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई है। स्वीकृत तथ्य यह हैं कि मेसर्स किर्केन्ड कोल कंपनी, जिसका नाम अब न्यू मरीन कोल कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है (संक्षेप में 'वादी'), ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी से आपूर्ति किए गए कोयले के मूल्य के रूप में रु. 1,13,000 की वसूली के लिए एक वाद दायर किया। अपीलार्थियों का मामला यह है कि वादी को 7 दिसंबर, 1962 से जून 1967 की अवधि के दौरान ग्रेड-I कोयले की आपूर्ति करनी थी। किंतु ग्रेड-I कोयले के स्थान पर ग्रेड-II कोयला आपूर्ति किया गया, लेकिन ग्रेड-I कोयले की कीमत वसूल की गई समझौते के अंतर्गत, प्रदर्श सी श्रृंखला, अनुबंध में एक खंड था :

"हम आपूर्ति की गुणवत्ता या मात्रा के कारण हमारे बिलों या बाद के बिलों में किए जाने वाले किसी भी समायोजन के लिए सहमत हैं।"

इसके तहत वे दिसंबर 1962 से जून 1967 की अवधि के दौरान किए गए अधिक भुगतान को समायोजित करने के हकदार हैं और तदनुसार उन्होंने समायोजन किया। मुद्दों को तैयार करने और साक्ष्य को जोड़ने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने पाया कि हालांकि समायोजन के लिए ऐसा समझौता था, जब तक कि अपीलकर्ता या तो दावा नहीं करते हैं या न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, वे राहत के हकदार नहीं हैं। नतीजतन, मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि समझौते और भविष्य के बिलों से समायोजन के आलोक में अपीलार्थी भविष्य की आपूर्ति से इसे समायोजित करने के हकदार थे क्योंकि प्रदर्श डी के तहत पहली बार धोखाधड़ी का पता वर्ष 1969 में चला था। लेखापरीक्षा विभाग द्वारा यह बताए जाने के बाद कि वादी ने ग्रेड-II कोयले की आपूर्ति की थी, लेकिन ग्रेड-I कोयले की कीमत एकत्र की थी, अपीलार्थी इसे समायोजित करने के हकदार थे। लेकिन अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि लगभग 12,038 टन कोयले की आपूर्ति की गई थी, लेकिन 7 दिसंबर, 1962 और जून, 1967 के बीच आपूर्ति किए गए कोयले की

कुल मात्रा को अभिलेख पर नहीं लाया गया है और यहां तक कि संबंधित अवधि के दौरान ग्रेड-II और ग्रेड-I कोयले के लिए जो मूल्य प्रचलित था, वह दिखाया नहीं गया था। नतीजतन, अपीलार्थी डिक्री को टालने में सफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई।

अतः प्रश्न यह है कि : क्या इस मामले के तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करना और विचारण न्यायालय की डिक्री की पुष्टि करना उचित था? उच्च न्यायालय ने, तथ्य के रूप में यह पाया, और हम भी उससे सहमत हैं कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार अतिरिक्त अथवा अधिक भुगतान का समायोजन लंबित अथवा बाद के बिलों में किया जाना था और पक्षकार उसी से बंधे हुए थे। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता वादी द्वारा की गई भविष्य की आपूर्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि का समायोजन करने के हकदार हैं। यह भी पाया गया कि वादी ने ग्रेड-I कोयले की कीमत की माँग कर तथा उसे वसूल कर धोखाधड़ी की, जबकि वास्तव में अपीलार्थियों को ग्रेड-II कोयले की आपूर्ति की गई थी। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद, अपीलार्थियों ने भविष्य में वादी को देय बिलों से अधिक भुगतान की राशि का समायोजन करना प्रारंभ कर दिया। इस तथ्य के पाए जाने पर, अनिवार्यतः, उच्च न्यायालय को या तो पक्षकारों को अवसर देकर विचारण न्यायालय से निष्कर्ष मंगवाना चाहिए था और उनके अधिकारों का निर्धारण करना चाहिए था, अथवा मामले को विचारण न्यायालय को यह अवसर देने के लिए वापस भेज देना चाहिए था कि अपीलकर्ता इस संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत कर सकें। हमें प्रतीत होता है कि दूसरा मार्ग अधिक उपयुक्त है। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के निर्णय के उस भाग तथा विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त करते हैं और वाद को विचारण न्यायालय को वापस भेजते हैं। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थियों को 7 दिसंबर 1962 से दिसंबर 1967 के अंत तक की अवधि के दौरान की गई कुल आपूर्तियों तथा ग्रेड-I और ग्रेड-II कोयले की प्रचलित कीमत के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे।

यह भी देखा जाएगा कि यदि आपूर्ति 12,038 टन से अधिक है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया है, तो उसे भी इस बात का निर्धारण करने में सम्मिलित किया जाए कि वास्तव में वादी द्वारा कितनी अधिक भुगतान राशि प्राप्त की गई थी; उस राशि का वादी को देय रकम में समायोजन किया जाए और तत्पश्चात उसके अनुसार नई डिक्री तैयार की जाए। यह समस्त कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

जी.एन.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।